# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 157 /2015–16 अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

1. श्री मनुदेव मनोज नौटियाल पुत्र स्व0 हर्षदेव नौटियाल 2. श्री विनोद नौटियाल पुत्र स्व0 हर्षदेव नौटियाल 3. श्रीमती रश्मी पत्नी श्री विनोद नौटियाल, सभी निवासीगण ग्राम मानपुर, पट्टी सुखरौं, तहसील कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल।

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम कुकरेती, निवासी ग्राम मानपुर, पट्टी सुखरौं, तहसील कोटद्वार, जनपद पौडी गढ़वाल एवं 19 अन्य ।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री नितिन वशिष्ठ।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 : श्री पी0के0 गर्ग।

## निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–03/2015–16 अनिल कुमार बनाम मनुदवे मनोज नौटियाल अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 07–01–2016 के विरूद्व योजित की गई है जिसे ग्राह्यता के दौरान निगरानी में परिवर्तित किया गया है।

प्रस्तुत निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि :–

वादीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार जनपद गढ़वाल के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम भूमि खाता संख्या–14 खसरा संख्या–12 क्षेत्रफल 0.6230 है0 ग्राम मानपुर, पट्टी सुखरौं, तहसील कोटद्वार जनपद गढ़वाल के विभाजन हेतु दिनांक 29–12–2015 को योजित किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने उक्त तिथि को ही वाद पंजीकृत कर प्रतिवादीगण को समन जारी करने के आदेश पारित किये एवं समन तामीली एवं प्रतिवाद पत्र हेतु 19–01–2016 की तिथि निर्धारित की। निगरानीकर्ता/वादी संख्या–1 सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–19 नियम–1 सपठित धारा–151 सिविल प्रकिया सँहिता पर विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार द्वारा निम्न अन्तरिम व्यादेश पारित किया गया :–

" वाद में अग्रिम नियत तिथि तक उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि पर निर्माण, खुर्द–बुर्द करने पर रोक लगाई जाती है। "

दिनांक 19–01–2016 को वाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई, मात्र वादी द्वारा अन्तरिम व्यादेश बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वाद में अगली तिथि 25–01–2016 निर्धारित हुई, 25–01–2016 को भी वाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई, कदाचित प्रतिवादीगण भी उक्त तिथि तक उपस्थित नहीं हुए। समन तामीली की स्थिति

आदेश पत्र में स्पष्ट नहीं है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 19–12–2015 को अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रखने की प्रार्थना स्वीकार की।

दिनांक 07–01–2016 को प्रतिवादी अनिल कुमार द्वारा एक निगरानी अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 29–12–2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राह्यता के स्तर पर ही विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने उक्त अन्तरिम व्यादेश को निरस्त किया एवं यह निर्देशित किया कि विभाजन के वाद की पोषणीयता के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया जाय। विद्वान अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 07–01–2016 के विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

यह निगरानी दिनांक 10–02–2016 को निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज की गई, जिसके विरूद्व उनके द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके शपथ पत्र में वर्णित आधारों पर स्वीकार कर निगरानी पुनर्स्थापित की गई।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि परीक्षण न्यायालय में वाद पंजीकृत किये जाने उपरान्त स्थल पर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए एवं उनके द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा सीधे विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा बिना सुनवाई के एवं बिना परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अभियाचित किये यथास्थिति का आदेश अपने आदेश दिनांक 07–01–2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में आक्षेपित आदेश पारित करने में तीन अनियमितताओं/अवैधानिकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। प्रथम अन्तरवर्ती एवं वाद कालीन आदेश के विरूद्व निगरानी स्वीकार नहीं की जानी थी, द्वितीय, सुनवाई का अवसर प्रदान न कर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना की गई एवं तृतीय, परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तक अभियाचित नहीं की गई। उनका यह भी कथन था कि परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 29–12–2015 से किसी भी पक्ष का अहित नहीं होता था एवं उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण को उक्त आदेश के विरूद्व परीक्षण न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर था।

उत्तरदाता संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी ग्राह्य थी, कि विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि सम्बन्धित पक्षकारों/क्रेतागण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट अंशों की सीमाओं को दर्शाकर क्रय की गई है, कि उत्तरदाता द्वारा कलेक्टर, गढ़वाल से अनुमति लेकर अपने अंश की भूमि में तहखाना को खोद लिया गया है एवं यदि इस खुदाई के दृष्टिगत शेष निर्माण की कार्यवाही अवरूद्व होती है तो आस पास की संरचनाओं के ढ़हने की आशंका है जैसा कि सर्वे अमीन की आख्या में स्पष्ट है, तद्नुसार उन्होंने वर्तमान निगरानी को अग्राह्य व अस्वीकार किये जाने योग्य कहा।

विभाजन का वाद एक नियमित वाद है। परीक्षण न्यायालय को उक्त प्रकरण में अस्थाई व्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है परन्तु अन्तरिम व्यादेश पारित करने में आदेश–19 नियम–3, 3ए व 4 के प्राविधानों का पालन किया जाना होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रथम बार दिनांक 29–12–2015 को अस्थाई व्यादेश अगली तिथि तक के लिए

पारित किये गये, परन्तु 25–01–2016 को उक्त आदेश का प्रभाव अग्रिम आदेशों तक विस्तारित किया गया।

वाद की कार्यवाही में अब तक प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई एवं उत्तरदाता संख्या–01 ने प्रश्नगत व्यादेश दिनांक 29–12–2015 के विरूद्व परीक्षण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत किये बिना अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जबकि उसके समक्ष परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही उक्त व्यादेश को निरस्त अथवा परिवर्तित कराने का विकल्प उपलब्ध था। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी न केवल अपरिपक्व थी अपितु अग्राह्य भी। जहाँ तक उत्तरदाता संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता के तर्क कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है, के सम्बन्ध में धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्राविधान अति स्पष्ट है, जिसके अनुसार एक भूमिधर अपनी जोत के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। जहाँ तक सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा उक्त खाते के अन्तर्गत विशिष्ट अंशों को कय करने का प्रश्न है इसका संज्ञान परीक्षण न्यायालय को कराया जा सकता है एवं कुर्रे निर्धारण में सम्बन्धित पक्षकारों के अंशों पर विधिवत अध्यासन का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। प्रकरण की वर्णित स्थिति के प्रकाश में विद्वान अपर आयुक्त के एतद् सम्बन्धी विनिश्चयन स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान अपर आयुक्त ने आक्षेपित अन्तरिम आदेश अपास्त कर एवं इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं पारित कर परीक्षण न्यायालय के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अग्रेत्तर आदेश पारित करने का मार्ग अवरूद्व कर दिया है भले ही वाद के दौरान परिस्थितियाँ कोई रूप लें जबकि वादकालीन आदेश पारित करना सक्षम न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त का संगत आदेशांश जो कि उनके क्षेत्राधिकार के परे पारित हुआ है एवं स्थिर रहने योग्य नहीं है।

जहाँ तक निगरानीकर्तागण के तर्क कि विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अभियाचित नहीं की गई, का प्रश्न है, सक्षम न्यायालय उसके समक्ष उपलब्ध अभिलेखों एवं सामग्री को पर्याप्त पाने की स्थिति में एवं प्रकरण के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होने की स्थिति में उसे ग्रहण करने के स्तर पर उसका अन्तिम निस्तारण कर सकता है।

विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी उपरोक्त के दृष्टिगत ग्राह्य नहीं थी।

## आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्ड़ल का आक्षेपित आदेश दिनांक 07–01–2016 एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा पारित व्यादेश दिनांक 25–01–2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उत्तरदातागण प्रथम अवसर पर विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे एवं अन्तरिम व्यादेश दिनांक 29–12–2015 के सम्बन्ध में अपनी–अपनी आपत्ति उसे निरस्त अथवा संशोधित कराने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र उसके औचित्य के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्वान सहायक कलेक्टर से अपेक्षित होगा कि वे पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 29–12–2015 का अग्रसर निस्तारण आदेश–39 नियम–3ए व 4 सिविल प्रकिया सँहिता के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा तद्नुसार अन्तरिम व्यादेश पर निर्णय लिये जाने तक उत्तरदाता संख्या–1 द्वारा अपने अंश की भूमि पर की गई खुदाई के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किया जा सकेगा(इस सम्बन्ध में उभय पक्षों की सहमति भी है) ताकि समीपवर्ती संरचनाओं

एवं आबादी को कोई क्षति न हो। वाद की पोषणीयता सम्बन्धी कथन उठाये जाने पर इस न्यायालय अथवा अपर आयुक्त न्यायालय के एतद् सम्बन्धी विनिश्चयों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, अपितु प्रकरण पूर्ण रूपेण खुला रहेगा। इस आदेश की प्रति सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार, जनपद गढ़वाल को भी अविलम्ब भेजी जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **02—03—2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी )
सदस्य(न्यायिक)।